रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 322] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 9, 1979/श्रावण 18, 1901

No. 322] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 9, 1979/SRAVANA 18, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1979

का० आ० 455(अ)/18 एफ० बी०/आई० डी० आर० ए०/79.—केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-ख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 506 (अ)/18 एफ० बी०/आई० डी० आर० ए०/78, तारीख 18 अगस्त, 1978 द्वारा घोषित किया था कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं) का प्रवर्तन, जिनका मैसर्स श्री दुर्गा काटन स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, कोन्नगर, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हों, उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित रहेगा तथा उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत और उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि तक निलंबित रहेंगे ;

और केन्द्रीय सरकार, का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि को 17 अगस्त 1980 तक की, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, और अवधि के लिए बढ़ाती है ।

[सं०-3(15)/77-सी० यू० सी०]

वि० राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 9th August, 1979

S.O. 455(E)/18FB/IDRA/79.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 506(E)/18FB/IDRA/78 dated the 18th August, 1978, the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs. Sri Durga Cotton Spinning and Weaving Mills Limited, Konnagar, District Hooghly, West Bengal is

a party or which may be applicable to the said industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year from such date and that all the rights, privileges, obligation and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period ;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of the 17th August, 1980.

[No. 3/15/77-CUC]
B. ROY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979